CSERC
छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष - 2011

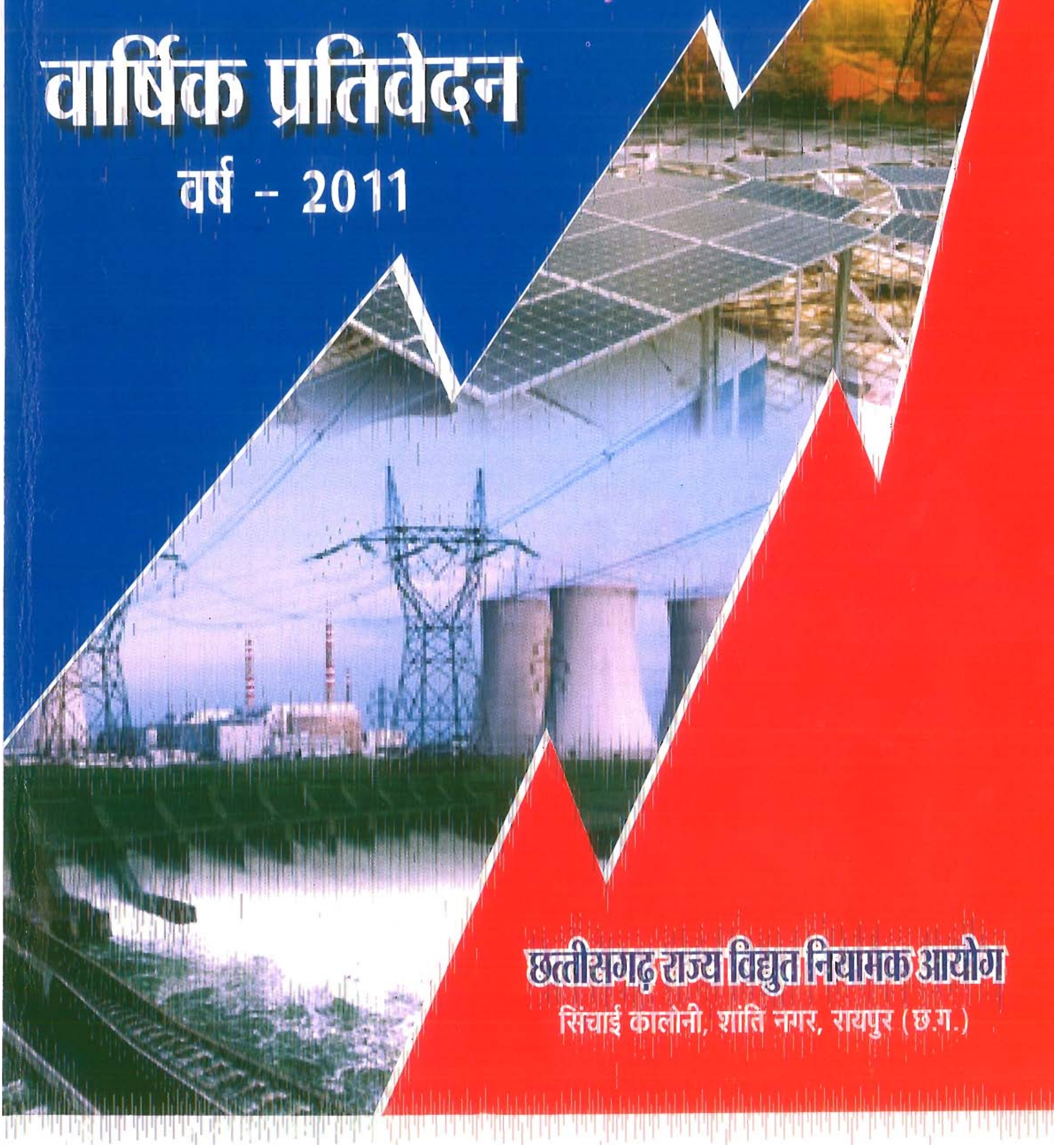

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011

विषय—सूची

खण्ड क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	1—3
2.	मानव संसाधन एवं उनका विकास	4—9
3.	आयोग के कृत्य, कार्यवाहियाँ, शक्तियाँ एवं उसकी कार्यप्रणाली	10—13
4.	राज्य सलाहकार समिति	14—15
5.	वर्ष 2007 एवं 2008 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण	16—23
6.	आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण	24—24
	परिशिष्ट वित्तीय वर्ष 2008—09 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण, लेखा संपरीक्षा प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन	25—45

खण्ड–1
प्रस्तावना

1.1 उद्देशिका (मिशन स्टेटमेंट)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसरण में किया गया है। आयोग उक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करता है। आयोग का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत, जो कि विकास का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, वाणिज्यिक नीति पर आधारित होते हुए भी, ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो जो जन–साधारण की पहुँच में हो। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु ऐसे दिशा–निर्देश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु क्रियाशील है जिनसे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। अपने कार्य को संपन्न करने हेतु आयोग, इस विषय से संबंधित समस्त व्यक्तियों विशेषतः उपभोक्ताओं की भागीदारी प्राप्त करने के प्रति सदा–सर्वदा सजग है। आयोग, राज्य में ऐसे विनियमित परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश में विद्यमान ताप–विद्युत एवं जल–विद्युत तथा विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले तथा साथ ही साथ राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सतत् एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति न्यूनतम दरों पर सुनिश्चित की जा सकें।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये विभिन्न कार्यो का निर्वहन करने के अनुक्रम में वर्ष 2011 में भी आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष (2011) में आयोग द्वारा किये गए उपरोक्त कार्यों तथा अन्य कार्यों का संक्षिप्त वर्णन प्रतिवेदन में किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक केलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी

वर्ष में आयोग द्वारा तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 104(4) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखा, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सहित आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन एवं संपरीक्षित वार्षिक लेखा राज्य शासन द्वारा विधान–सभा के पटल पर रखे जाते हैं। इस प्रतिवेदन में आयोग का वर्ष 2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010–11 के संपरीक्षित वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत हैं।

1.2 आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002/ दिनाँक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के द्वारा किया गया। राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–7/13/1/2007, रायपुर, दिनांक 29/06/2009 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष के पद पर श्री मनोज डे की नियुक्ति की गई एवं राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–7/13/1/2007, रायपुर, दिनांक 19/03/2008 के द्वारा आयोग के सदस्य के पद पर श्री बी.के. शर्मा की नियुक्ति की गई । श्री बी.के. शर्मा जी की 2 जनवरी 2012 को सेवानिवृत्ति पश्चात राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 1–7/2007/13/1 दिनांक 11/01/2012 से श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। वर्तमान में श्री मनोज डे अध्यक्ष एवं श्री विनोद श्रीवास्तव सदस्य के रूप में कार्यरत है। वर्ष 2011 में कार्यरत रहे आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:–

श्री मनोज डे (अध्यक्ष)

श्री मनोज डे द्वारा शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, रायपुर से वर्ष 1970 में विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की गई। आपने मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में अप्रैल 1971 से विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान की तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में मुख्य अभियंता, सचिव एवं सदस्य के पद तक पहुँचे। श्री डे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से

सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद से दिसम्बर 2007 में सेवानिवृत्त हुए, इस अवधि में कार्यो की गुणवत्ता के उन्नयन, अधिकतम श्रमशक्ति का सदुपयोग, विद्युत क्षमता वृद्धि एवं कार्यों में पारदर्शिता का आपके द्वारा समुचित ध्यान रखा गया। प्रशासनिक अनुभव के अतिरिक्त आप समस्त छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र व विद्युत नेटवर्क के ज्ञाता है। विद्युत मण्डल में विद्युत देयकों का सेप प्रणाली द्वारा तैयार किया जाना, संपूर्ण उपभोक्ता विवरण सेप प्रणाली में संचित किया जाना, विद्युत देयक का आनलाईन भुगतान किया जाना, उपभोक्ता सूची तथा हैंड होल्ड डिवाईस द्वारा मीटर रीडिंग (धमतरी शहरी क्षेत्र) में लिया जाने का प्रारंभ श्री मनोज डे के प्रयासों से संभव हुआ। मण्डल में सदस्य के रूप में 1018 करोड की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अपने अन्तिम चरण में पहुंचाया। श्री डे को इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा वर्ष 2009 में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए "इंजीनियर ऑफ द ईयर" का सम्मान प्राप्त हुआ। 1 जुलाई 2009 से श्री मनोज डे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं।

श्री बी.के. शर्मा (सदस्य)

श्री बी.के. शर्मा द्वारा शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, रायपुर से वर्ष 1968 में विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की गई। विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के पद से प्रारंभ कर आपने विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान की तथा विद्युत मंडल में मुख्य अभियंता, सचिव एवं सदस्य के पद तक पहुँचे। आप छ.ग.रा.वि.म. से सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद से वर्ष 2005 में सेवानिवृत्त हुए। आपने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विद्युत के पारेषण व वितरण प्रणाली का मास्टर प्लान बना कर क्रियान्वयन किया मंडल को नये आयाम तक पहुँचाया। आपका योगदान ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सार्थक प्रयासों के लिए एक संवेदनशील अभियता के रूप में जाना जाता है। आप दो वर्षो तक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की छत्तीसगढ़ राज्य इकाई के अध्यक्ष रहे। श्री बी.के. शर्मा 24 मार्च 2008 को छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किये गये।

उपरोक्त के अतिरिक्त 11 जनवरी 2012 को नवनियुक्त सदस्य श्री विनोद श्रीवास्तव जी का संक्षिप्त परिचय भी निम्नानुसार है:–

श्री विनोद श्रीवास्तव (सदस्य)

श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, जबलपुर से वर्ष 1973 में सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के रूप में अमरकंटक ताप विद्युत गृह से अपनी सेवायें प्रारंभ की गई। विभिन्न पदों पर जबलपुर (मुख्यालय), जगदलपुर, टोंस जल विद्युत परियोजना, भोपाल, बिरसिंगपुर ताप विद्युत परियोजना, कोरबा ताप विद्युत गृह में सेवायें प्रदान करने के पश्चात् वर्ष 2002 में आपको मुख्य अभियंता सिविल परियोजना एवं वर्ष 2007 में सचिव विद्युत मण्डल का दायित्व प्रदान किया गया। विद्युत मण्डल के पुनर्गठन के पश्चात् जनवरी 2009 में आपको राज्य शासन द्वारा प्रबंध निदेशक, छ.ग.पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी का दायित्व सौंपा गया। इसके अतिरिक्त नवम्बर 2009 से अक्टूबर 2010 तक आपने छ.ग. पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड एवं मार्च 2011 से अक्टूबर 2011 तक छ.ग. विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व भी वहन किया।

1.3 आयोग का कार्य स्थल

आयोग का भवन न्यू शांति नगर, रायपुर में स्थित है, भवन निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया गया है। आयोग के भवन के निर्माण में सी.डी.एम. (क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म) के सिद्धांत को अपनाया गया है। प्रदेश में यह अपने प्रकार का ऐसा पहला भवन है। भवन में क्रेडा के माध्यम से 80 किलोवॉट क्षमता के सौर–ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। इससे उत्पादित विद्युत, कार्यालयीन उपयोग के पश्चात् अतिरिक्त विद्युत ग्रिड में डाली जाती है। भवन में आयोग कार्यालय फरवरी 2009 से संचालित हैं।

—000—

खण्ड–2
मानव संसाधन एवं उनका विकास

2.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया। राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 10–3/2004/13/1 दिनांक 28.05.2010 द्वारा आयोग हेतु नये स्वीकृत पदों की संख्या सम्मिलित कर दिनांक 31.12.2011 की स्थिति में संगठनात्मक विवरण निम्नानुसार है :

स. क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	स्वीकृत पद संख्या	वेतनमान	ग्रेड–पे	भरे हुए पद की संख्या	रिक्त पद की संख्या
	आयोग सचिवालय					
1.	सचिव	1	37400–67000	10000	–	01
2.	उप सचिव	1	15600–39100	7600	01	–
3.	उप निदेशक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	1	15600–39100	6600	–	01
4.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	15600–39100	5400	–	01
5.	विभाग अधिकारी	1	9300–34800	4400	–	01
	तकनीकी विभाग					
6.	निदेशक	1	37400–67000	10000	01	
7.	संयुक्त निदेशक	1	15600–39100	7600	01	
8.	उप निदेशक	2	15600–39100	6600	01	01
9.	सहायक निदेशक	2	15600–39100	5400		02
	टैरिफ विभाग					
10.	निदेशक	1	37400–67000	10000	01	
11.	संयुक्त निदेशक	1	15600–39100	7600		01
12.	उप निदेशक	1	15600–39100	6600	01	
13.	सहायक निदेशक	1	15600–39100	5400		01
	वित्त विभाग					
14.	अर्थप्रबंध सलाहकार	1	37400–67000	8700		01
15.	वित्तीय सलाहकार	1	15600–39100	7600	01	
	विधि विभाग					
16.	निदेशक	1	37400–67000	10000		01
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	15600–39100	7600		01
18.	विधि अधिकारी	1	15600–39100	6600	01	

	प्रशासकीय विभाग					
19.	सहायक संचालक (लेखा)	1	15600–39100	5400	–	01
20.	निज सचिव	2	9300–34800	4400	01	01
21.	निज सहायक	5	9300–34800	4300	02	03
22.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	9300–34800	4300	01	
23.	कनि ठ लेखाधिकारी	1	9300–34800	4200	01	
24.	स्टेनोग्रफर	5	5200–20200	2800		05
25.	कम्प्यूटर सहायक	3	5200–20200	2400	01	02
26.	सहायक ग्रेड–2	3	5200–20200	2400	02	01
27.	स्टेनो टायपिस्ट	4	5200–20200	1900	03	01
28.	सहायक ग्रेड–3	5	5200–20200	1900	03	02
29.	वाहन चालक	4	5200–20200	1900	04	–
30.	भृत्य	11	4440–7440	1300	09	02
31	माली	1	4440–7440	1300		01
	योग	**66**				

सचिव के अतिरिक्त कार्य दायित्व का निर्वहन निदेशक (तकनीकी) द्वारा किया जा रहा है । उप सचिव, संयुक्त निदेशक (टैरिफ) के पद का अतिरिक्त प्रभार का निर्वहन कर रहे हैं।

2.2 आयोग में वर्ष 2011 में सेवारत् अधिकारी :

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2011 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी सेवारत रहे :—

क्रमाँक	नाम	पद	पदभार ग्रहण करने की दिनाँक
1.	श्री एन. के. रूपवानी	निदेशक (तकनीकी), सचिव का अतिरिक्त प्रभार 10.10.2005 से	04.10.2005
2.	श्री डी.पी. शर्मा	निदेशक (टैरिफ)	05.07.2010
3.	श्री आर.एन. साहू	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	27.10.2010 से 26.10.2011 तक
4.	श्री एस.पी. शुक्ला	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	29.10.2009 से, उससे पूर्व उप निदेशक के पद पर कार्यरत्
5.	श्री विनय पाण्डेय	उप सचिव, संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त प्रभार	23.08.2011
6.	श्री सुरोबिन राय	वित्तीय विश्लेषक	06.10.2009
7.	श्री विवेक गनोदवाले	विधि अधिकारी	10.12.2004
8.	श्री कमलेश दिल्लीवार	उप निदेशक (तकनीकी)	11.08.2010
9.	श्री सुरेन्द्र सिंह	उप निदेशक (टैरिफ)	11.08.2010

1. **श्री एन.के. रूपवानी, निदेशक (तकनीकी)**:— मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के बाद, मझगांव डॉक्स लिमिटेड, बॉम्बे एवं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कनिष्ठ अभियंता के रूप में लगभग दो वर्ष कार्य करने के उपरान्त 07/03/1974 को मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा आरंभ की। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर आपने योजना—कार्य, संचालन एवं संधारण और निर्माण कार्यों को नई दिशाएं दी। मंडल के समस्त थर्मल पावर स्टेशन्स के लिए क्षमता आंकलन जैसा महत्वपूर्ण कार्य आपने संपन्न किया। चौदह वर्षों से लंबित 850 के.व्ही. मिनी हाइडल पावर स्टेशन कोरबा (पश्चिम) को प्रारंभ करना और कोरबा पश्चिम एवं डा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत परियोजना कोरबा पूर्व के लिए पर्यावरण स्वीकृति जैसे कार्य आपके द्वारा संपन्न कराये गये। विद्युत मण्डल द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का सकारात्मक हल, वेतन—निर्धारण आदि कार्यों में दक्षता के लिए 15 अगस्त 1996 को आपको उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में आप 10 अक्टूबर 2005 से सचिव का अतिरिक्त प्रभार वहन कर रहे हैं।

2. **श्री डी.पी. शर्मा, निदेशक (टैरिफ):–** शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बिलासपुर से बी. ई. (इलेक्ट्रीकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री शर्मा ने मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में स्नातक प्रशिक्षु के रूप में अपनी सेवा आरंभ की, लगभग 35 वर्षों में विभाग की प्रशासनिक सीढ़ियों पर क्रमशः चढ़ते हुए 2004 में मुख्य अभियंता के पद पर आसीन हुए। आपने इस पद पर रहते हुए प्रशिक्षण, पारेषण और वाणिज्य विभाग को नई दिशा दी। जुलाई 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् हैदराबाद में प्रतिष्ठित कम्पनी में तकनीकी सलाहकार के रूप में अपनी सेवायें देने के बाद दिनांक 05.07.2010 से आयोग में निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत् हैं।

3. **श्री विनय कुमार पाण्डेय :–** बी.ई. (मेकेनिकल) की उपाधि 1988 में प्राप्त करने के उपरांत श्री पाण्डेय द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। आपने ताप विद्युत संयंत्र में संयंत्र संचालन, कोल हस्तातंरण, गैरेज एवं मुख्यालय में ताप एवं जल विद्युत डिजाईन, प्रोजेक्ट, साफ्टवेयर डेवलपमेंट, शोध एवं विकास, सचिवालय आदि विभागों में कार्य किया। इस दौरान वित्त/मानव संसाधन प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, के साथ 2005 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से एनर्जी ऑडिटर का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। 15 अगस्त 2011 को टैरिफ संबंधी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वर्तमान में आप 23 अगस्त 2011 से प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवायें आयोग में उपसचिव के पद पर दे रहे हैं।

4. **श्री एस.पी. शुक्ला, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)** :– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी. ई. (मेकेनिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री शुक्ला ने 11 वर्षों तक विद्युत संयंत्रों में कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, ताप–विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का कमीशनिंग प्रबंधक के पद पर कार्य किया। दिनांक 21/10/2004 से आयोग में उप निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 29/10/2009 को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए।

5. **श्री आर.एन. साहू, संयुक्त निदेशक (टैरिफ):–** शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से वर्ष 1972 में बी.ई. (विद्युत अभियांत्रिकी) की

उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री साहू मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए वर्ष 2006 में अधीक्षण यंत्री (संचालन एवं संधारण) के पद से सेवानिवृत्त हुए। दिनांक 27.10.2010 से आयोग में संयुक्त निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत् रहते हुए उप सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी वहन किया, दिनांक 26 अक्टूबर 2011 को आयोग में अपनी कार्यावधि पूर्ण करके कार्यमुक्त हुये।

6. **श्री सुरोबीन राय, वित्तीय विश्लेषक**– बी.एस.सी. (गणित), एफ.आई.सी. डब्लू.ए., लागत लेखांकन एवं प्रबंधन, लेखाकन, बजट, लेखा–संपरीक्षण, वित्त एवं कोषालय प्रबंधन, करारोपण, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में आयोग की सेवा में आने के पूर्व 18 वर्ष का अनुभव है। श्री राय आयोग में वित्तीय विश्लेषक के रूप में दिनांक 06.10.2009 से कार्यरत् है।

7. **श्री विवेक गनोदवाले, विधि अधिकारी** :– बी. कॉम, एल.एल.बी., मई 1988 से मुख्यतः जिला न्यायालय रायपुर में सफल अभिभाषक रहे। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम तथा औद्योगिक न्यायालयों हेतु गठित व रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के पेनल में रह चुके हैं। दिनांक 10/12/2004 से आयोग में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत् हैं।

8. **श्री सुरेन्द्र सिंह, उप निदेशक (टैरिफ)**:– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी.ई. (इलेक्ट्रीकल) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात लगभग 1 वर्ष आटोमोबाईल उद्योग तथा लगभग 12 वर्ष तक जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया। वर्तमान में अगस्त 2010 से आयोग में उप निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत् हैं।

9. **श्री कमलेश दिल्लीवार, उप निदेशक (तकनीकी)**:– 1995 में मेकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत पॉवर प्लांट एवं कंसलटेंसी संस्थाओं में लगभग 3 वर्ष कार्य करने के बाद सन् 2000 में ऊर्जा प्रबंधन में स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त की। श्री दिल्लीवार ने सन् 2000 से लगातार पॉवर सेक्टर में अलग–अलग कसंलटेंसी सस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद अगस्त 2010 में छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग में उपनिदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न कंसलटेंसी संगठनों में रहते हुए उन्होंने विदेशों में भी (मध्यपूर्व, सुदूरपूर्व एवं अफ्रीकी राष्ट्रों में भी) अपनी सेवाएं दी। पिछले दस वर्षों में उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए

विभिन्न ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत बोर्ड, कंपनी एवं विभिन्न राज्यों के नियामक आयोग, निजी श्रेत्र के उद्योगों, निजी पॉवर प्लांट में कंसलटेंसी प्रदान की। सन् 2003 में महाराष्ट्र शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा महाराष्ट्र राज्य में ऊर्जा संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान हेतु श्री दिल्लीवार के नेतृत्व में इनकी नियोक्ता कंपनी को प्रथम पुरूस्कार से सम्मानित किया गया। श्री दिल्लीवार द्वारा BEE (MoP) से ऊर्जा संपरीक्षक का प्रमाण पत्र भी 2004 में प्राप्त किया गया है।

2.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठि/सम्मेलन कार्यक्रमः–

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2011 में भी आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, तथा टैरिफ के विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम–आवश्यकतानुरूप अभिवृद्धि हो सके ।

विवरण

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम/विषय	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह, उप निदेशक (टैरिफ)	केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम,	आई.आई.टी., कानपुर	6 दिन (18.07.2011 से 23.07.2011)
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह, उप निदेशक (टैरिफ)	वेरियस आसपेक्ट ऑफ स्मॉल हाईड्रो पॉवर डेव्लपमेंन्ट एण्ड रिन्युवेवल सोर्स ऑफ एनर्जी,	आई.आई.टी., रूडकी	4 दिन (23.08.2011 से 26.08.2011)
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह, उप निदेशक (टैरिफ)	एनुअल रेवेन्यु रिक्वायरमेंट एण्ड ए.पी.आर. फार एनर्जी सेक्टर	के.जी. सोमैया इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एण्ड रिसर्च, मुम्बई	3 दिन (20.10.2011 से 22.10.2011)
4.	श्री सुरोबिन रॉय, वित्तीय विशलेषक	एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट एण्ड ए.पी.आर. फार एनर्जी सेक्टर	के.जी. सोमैया इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एण्ड रिसर्च, मुम्बई	3 दिन (20.10.2011 से 22.10.2011)

2.4 आयोग के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण

आयोग द्वारा इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इण्डिया के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारकों के अधिकारियों के लिए "वितरण प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान" विषय पर दिनांक 18 नवम्बर से 20 नवम्बर 2011 तक एवं "वितरण हानि में कमी हेतु श्रेष्ठ पद्धतियाँ" विषय पर दिनांक 10 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2011 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, प्रत्येक कार्यक्रम से 25 से अधिक अधिकारी लाभांवित हुए।

खण्ड–3

आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

3.1 **आयोग के कृत्य** – विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और संचरण (व्हीलिंग) के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ट्रेडर, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया का एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा संचरण को सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना ।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिये अनुज्ञप्ति प्रदाय करना।

(v) नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोतों के ग्रिड से संयोजन के लिये उपयुक्त उपाय करना, विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत के प्रतिशत का निर्धारण एवं ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए विनिर्दिष्ट करना ।

(vi) अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निराकरण करना और माध्यस्थम के लिये किसी विवाद को निर्दिष्ट करना।

(vii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत राज्य ग्रिड कोड का विनियमन।

(viii) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(ix) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(x) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को सौंपा गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित राष्ट्रीय टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है ।

3.2 आयोग की कार्यप्रणाली :

अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि आयोग अपने कार्य निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता बरतेगा एवं इसमें उपभोक्ताओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करेगा। आयोग की कार्यप्रणाली न्यायिक कार्यप्रणाली के तुल्य है। आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा "कार्य संचालन विनियम, 2004 "बनाया गया था, जिसे पुर्नरीक्षित कर "कार्य संचालन विनियम 2009" बनाया गया है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क अनुज्ञप्तिधारी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्तिं, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक व समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निराकरण करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है ।

- आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा तथा प्रकरण माध्यस्थम को निर्दिष्ट कर सकेगा।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के आदेश कर सकेगा ।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।
- यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार की शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है।
- इसके साथ प्रतिवादी निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है ,जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।
- उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

3.3 आयोग की शक्तियाँ :

विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः–

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ;

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज/साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य संदर्भित सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति के लिये या;

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये निर्देश जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

3.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95 के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धारा 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धारा 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

—000—

खण्ड–4
राज्य सलाहकार समिति

4.1 राज्य सलाहकार समिति :

विद्युत अधिनियम की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श दे सकेगी :–

(1) मुख्य नीतिगत मुद्दों पर;

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;

(4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं

(5) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

सलाहकार समिति का प्रथम गठन आयोग की अधिसूचना दिनाँक 25.02.2005 के द्वारा किया गया था।

दिनाँक 31.12.2011 की स्थिति में राज्य सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:–

1.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	अध्यक्ष	पदेन
2.	सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	सदस्य	पदेन
3.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर	सदस्य	पदेन
4.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, रायपुर	सदस्य	पदेन
5.	प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, रायपुर	सदस्य	अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि
6.	महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर	सदस्य	परिवहन के प्रतिनिधि
7.	महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल), भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई	सदस्य	बड़े उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
8.	महापौर, रायपुर नगर पालिक निगम, रायपुर या उनके प्रतिनिधि	सदस्य	उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
9.	अध्यक्ष, कंफडेरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़ चैप्टर, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि

10.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
11.	अध्यक्ष, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
12.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ, बिलासपुर	सदस्य	लघु उद्योगों के प्रतिनिधि
13.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज रायपुर	सदस्य	वाणिज्य के प्रतिनिधि
14.	श्री गौरी शंकर कौशिक, गांव–पोडी, जिला– बिलासपुर	सदस्य	कृषक प्रतिनिधि
15.	श्री यू.एस. गुप्ता, भिलाई, जिला–दुर्ग	सदस्य	उपभोक्ताओ के प्रतिनिधि
16.	श्री बीरेन्द्र कुमार सोनी, डोंगरगढ़	सदस्य	उपभोक्ताओ के प्रतिनिधि
17.	आर.पी. सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, छ.ग.रा.वि.म., बिलासपुर	सदस्य	उपभोक्ताओ के प्रतिनिधि
18.	श्री गोपाल मुखर्जी, अध्यक्ष एवं संचालक राजकिशोर नगर समन्वय समिति, बिलासपुर	सदस्य	उपभोक्ताओ के प्रतिनिधि

टीपः– आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें :

वर्ष 2011 में इस समिति की संपन्न दो बैठकों में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, रायपुर, द्वारा बहुवर्षीय राजस्व आवश्यकता वर्ष 2010–11 से वर्ष 2012–13 तक तथा रिटेल टैरिफ वर्ष 2010–11 के लिए प्रस्तुत की गई याचिकाओं के संबंध में, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा देयकों के भुगतान हेतु दी जा रहीं सुविधाओं, स्ट्रीट लाईटों को समय पर चालू एवं बंद करने हेतु टाईमर की स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या, क्षेत्रीय एवं संभागीय स्तर पर विद्युत सलाहकार समितियों के गठन, आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई एवं तत्संबंधी निर्देश भी जारी किये गये।

––000––

खण्ड–5
वर्ष 2011 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है। उपरोक्त विनियम बनने के पूर्व प्रारूप विनियमों तथा अन्य दिशा निर्देशों पर जन सामान्य तथा विशेष रूप से प्रभावित घटक–संस्थाओं, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, अनुज्ञप्तिधारियों, शासन, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से उपरोक्तानुसार सुझाव आपत्तियाँ तथा टिप्पणियाँ प्राप्त की जाती है ।

आयोग द्वारा विनियम बनाने की प्रक्रिया अधिसूचना (नोटिफिकेशन) द्वारा की जाती है। अधिसूचना का अभिप्राय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। धारा 181 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा बनाए गए समस्त विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

अतः पूर्व प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

- प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट पर रखे जायेंगे तथा प्रारूप विनियमों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय व पुस्तकालय में कार्यालय के कार्य–अवधि में कार्य दिवसों में उपलब्ध होंगी।
- प्रारूप विनियमों के बारे में आपत्ति/सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा आयोग के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूचना में संक्षेप में विनियम की विषय–वस्तु समाविष्ट होगी।
- प्रारूप विनियम की एक–एक प्रतिलिपि निम्नलिखित में से प्रत्येक को भेजी जायेगी :–

  (क) राज्य शासन के ऊर्जा विभाग में

  (ख) राज्य सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को ।

  (ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को ।
- दो सप्ताह या उससे अधिक समय जैसा आयोग द्वारा समुचित माना जाये, आपत्तियाँ, सुझाव व टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा।

- समुचित प्रकरणों में आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों, सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर प्रारूप विनियम पर जन–सुनवाई की जा सकती है।
- विनियम को अंतिम रूप जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा। प्रकाशन के उपरांत विनियम को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना आयोग के आम सूचना–पटल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा एक प्रेस–विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में होते ही वर्ष 2004 से 2010 तक निरंतर विनियम तैयार किए गए। यह प्रक्रिया वर्ष 2011 में भी अनवरत जारी रही। दिनाँक 31.12.2011 की स्थिति में प्रचलित विनियमों की सूची निम्नानुसार है :–

(I) वर्ष 2011 के पूर्व अधिसूचित विनियमः–

क्रमांक	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004	07.12.2004
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008	07.05.2008
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	18.10.2004
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004	31.05.2005
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम,2005	13.09.2005
6.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि – प्रथम संशोधन) विनियम, 2007	31.12.2007
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम 2005	13.09.2005
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम 2005	26.07.2005
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग–प्रथम संशोधन) विनियम, 2007	20.07.2007

10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता–2005	14.09.2005
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन) 2007	16.04.2007
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन), 2007	01.10.2007
13.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006	01.03.2006
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2007	29.08.2008
15.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता (प्रथम संशोधन), 2008	09.09.2008
16.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम 2005	05.12.2005
17.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005	14.07.2006
18.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम, 2006	14.07.2006
19.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006	05.01.2007
20.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की प्राप्ति) विनियम, 2008	14.07.2008
21.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक उर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008	22.05.2008
22.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009	15.07.2009
23.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009	20.07.2009
24.	CSERC (Terms and Conditions of determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles) Regulations, 2010	09.10.2010
25.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2010	26.10.2010

(II) वर्ष 2011 में अधिसूचित विनियमः–

क्रमांक	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Connectivity and Intra-State Open Access) Regulations, 2011	04.03.2011
2.	Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and REC framework Implementation) Regulations, 2011	04.03.2011
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संवीक्षा) विनियम 2011	01.06.2011
4.	Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011	04.03.2011
5.	Chhattisgarh State Electricity Supply Code-2011	28.11.2011
	निम्न विनियम को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया गया है:–	
6.	Chhattisgarh State Electricity Grid Code, 2011	

5.2 आयोग द्वारा जारी किये महत्वपूर्ण आदेश

1. मेसर्स भिलाई स्टील प्लांट का व्यापार कार्य योजना (बिजनेस प्लान)।
2. वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 के लिए मेसर्स जिन्दल पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड की पारेषण हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा ट्रांसमिशन चार्जेस ।
3. वर्ष 2010–11 तथा 2012–13 के लिए राज्य भार पारेषण केन्द्र हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारण।
4. छ.ग. में वितरण लाइसेंस धारियों द्वारा छ.ग. में बायोमास आधारित पावर प्लांटस के द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत की खरीदी के लिए विद्युत दर निर्धारण तथा पुनरीक्षण।
5. वर्ष 2011–12 के लिए छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अल्पावधि (Short terms) हेतु क्रय की जाने वाली विद्युत के मूल्य तथा नियम व शर्तो ।

6. विद्युत मीटर के साथ छेड़–छाड़ के संबंध में स्वैच्छिक घोषणा योजना।

7. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन/पारेषण/वितरण कम्पनी के लिये नियंत्रण अवधि 2010 से 2013 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता अनुमोदन तथा वर्ष 2011–12 के लिए टैरिफ आदेश।

8. छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत की खरीदी के लिए 1.2 मेगावाट महानदी रिजर्वोयर (गंगरेल बांध) लघु जलविद्युत प्रोजेक्ट हेतु प्रावधिक विद्युत दर निर्धारण।

5.3 वर्ष 2011–12 हेतु छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के लिए जारी विद्युत दर आदेश के मुख्य बिंदु:–

1) वित्तीय वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 (वर्ष 2007–08 छोड़कर) के राजस्व का true up किया गया हैं

2) कृषकों के हित में कृषि पम्पों हेतु विद्युत दर 1 रूपये प्रति यूनिट से 1.10 पैसे निर्धारित कर उसमें मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट की मामूली वृद्धि की गई है।

3) पूर्व में घरेलू उपभोक्ताओं हेतु 0–200 यूनिट का प्रथम स्लेब था, इस टैरिफ में 0–100 का नया स्लैब घरेलू उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किया गया है।

4) बी.पी.एल. कार्ड धारक उपभोक्ता यदि माह में 30 यूनिट से अधिक खपत करता है तो उसे 30 यूनिट के ऊपर का भुगतान घरेलू टैरिफ की दर से करना होगा। साथ ही इस स्थिति में बी.पी.एल. कार्ड धारी उपभोक्ता को 30 यूनिट प्रति माह खपत की छूट मिलती रहेगी।

टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

(i) याचिका की प्राप्ति
(ii) आपत्तियां एवं टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिये प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन
(iii) याचिका में प्रस्तावित संशोधन का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन
(iv) टैरिफ आवेदन पर विचार के लिए राज्य विद्युत सलाहकार समिति की विशेष बैठक
(v) टैरिफ का आयोग द्वारा निर्धारण
(vi) आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ सूचना वादी द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशन से सात दिवस उपरांत लागू होता है।

5.4 फ़ोरम ऑफ रेग्यूलेटर्स की 27वीं बैठकः—

संविधान के अंतर्गत 'विद्युत' समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं राज्यों के स्तर पर राज्य विद्युत नियामक आयोगों का गठन किया गया है। चूंकि विद्युत व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रभाव सभी राज्यों पर होता है। अतः समस्त नियामक आयोगों में समन्वय व सामंजस्य की दृष्टि से केंद्रीय नियामक आयोग के अधीन फोरम ऑफ रेग्यूलेटर्स स्थापित किया गया है। जिसकी बैठक बारी—बारी से विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाती है। इसी तारतम्य में, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा फोरम ऑफ रेग्यूलेटर्स (एफ.ओ.आर) की 27वीं बैठक दिनांक 16 दिसम्बर 2011 को रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं 22 राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्यों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ राज्य में द्वितीय बार आयोजित एफ.ओ.आर की इस बैठक में विद्युत व्यवस्था के संबंध में दूरगामी एवं व्यापक महत्व रखने वाले निम्नांकित ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा हुईः—

1. देश में प्री—पेड मीटरिंग को प्रभावी तौर पर अमल में लाने हेतु कार्ययोजना का निर्धारण।
2. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन—कार्यान्वयन की समीक्षा।
3. अपीलेट ट्रिब्युनल फॉर इलेक्ट्रीसिटी द्वारा बिजली दरों की पुनरीक्षण के संबंध में स्वतः संज्ञान में ली गई याचिका क्रमांक ओ.पी. 01/2011 पर दिये गए निर्णय के संबंध में चर्चा।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वृहन मुम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एवं ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (वेस्ट) के प्रकरण में निर्णय दिनांक 08.02.2011 द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 51 की व्याख्या।
5. विद्युत मंत्रालय, भारत शासन द्वारा पत्र दिनांक 30.11.2011 निर्धारित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट "ओपन एक्सेस" प्रावधान की व्याख्या।

5.5 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण

इस वर्ष विभिन्न पक्षकारों ने 58 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये, एवं स्वयं संज्ञान के भी 05 मामले आयोग द्वारा पंजीबद्ध हुये। इस तरह वर्ष 2011 के दौरान आयोग में कुल 63 मामले पंजीबद्ध किये गए, जिसमें से 41 प्रकरणों का निराकरण आयोग द्वारा इस वर्ष किया गया। सन् 2010 में एवं उसके पूर्व पंजीबद्ध, परंतु इस वर्ष के प्रारंभ में लंबित, 16 प्रकरणों का निराकरण भी इस वर्ष किया गया। इस तरह वर्ष 2011 में कुल 57 मामलों का निराकरण किया गया। यह नीचे दी गई सारणी में दर्शित हैः—

याचिकाओं का निराकरण			
01–01–2011 की स्थिति में विचाराधीन	वर्ष 2011 में पंजीकृत	वर्ष 2011 में निराकृत	01–01–2012 की स्थिति में विचाराधीन
20	63	57	26

5.4 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल (अंबुडसमैन) की स्थापना:–

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत मंडल द्वारा राज्य में रायपुर, बिलासपुर तथा जगदलपुर में शिकायत निवारण फोरम (फोरम) स्थापना की गई। इसके अलावा आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम धारा 42(6) के प्रावधान के अनुसार विद्युत लोकपाल की नियुक्ति भी की गई है। फोरम के आदेशों के विरूद्ध लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

विद्युत लोकपाल (अंबुडसमैन) द्वारा वर्ष 2011 में निराकृत किये गए प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रकरणों का निराकरण			
01–01–2011 की स्थिति में विचाराधीन	वर्ष 2011 में पंजीकृत	वर्ष 2011 में निराकृत	01–01–2012 की स्थिति में विचाराधीन
24	45	63	06

5.5 विद्युत उपभोक्ताओं में ज़ागरूकता के प्रयास:–

विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदाय करने हेतु आयोग द्वारा मानक विनियम तैयार किए गये हैं जिनमें, निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध न होने पर व सेवा में कमी पाये जाने पर उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान रखा गया है। तत्संबंध में एक पोस्टर राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार हिन्दी में तैयार कराया गया है जिसे विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यालयों जैसे वितरण केन्द्र, उपसंभाग, संभाग, वृत्त कार्यालय आदि पर लगाया गया है।

उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के निराकरण पर संतुष्टि न होने की स्थिति में शिकायत निवारण फोरम में शिकायत करने हेतु जागरूकता लाने हेतु आयोग के आदेशानुसार कम्पनी द्वारा विद्युत बिल में, जो कि प्रत्येक माह उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है, के पीछे जानकारी दी गई है। नया कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वितरण केन्द्र कार्यालयों में हिन्दी में सूचना पटल लगाने हेतु आयोग द्वारा निर्देशित किया गया।

—000—

खण्ड–6

आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण वर्ष 2010–11

6.1 आयोग की निधि :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 में राज्य शासन द्वारा एक निधि की स्थापना करने का प्रावधान है जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आबंटित अनुदान राशि, ऋण एवं आयोग द्वारा प्राप्त समस्त वैधानिक शुल्क आदि को शामिल किया जाता है।

इस निधि का उपयोग "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम, 2007 जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक–18 मई 2007 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है।

6.2 आयोग के लेखाओं, बजट एवं लेखा संपरीक्षा नियम :

आयोग के लेखाओं का संधारण, बजट की प्रस्तुति एवं लेखा संपरीक्षा(ऑडिट) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित नियम जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 06 जुलाई 2007 को "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के नाम प्रकाशित हो चुका है के द्वारा संचालित होते है। उक्त नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण संपरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य संस्था को लेखा संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना है। आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को आयोग के अध्यक्ष, वित्तीय मामलों के एक सदस्य एवं सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। उक्त नियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंत तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं आने वाले वर्ष का संभावित बजट अनुमान राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2010–11 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षण महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा किया जा चुका है एवं वर्ष 2011–12 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं बजट अनुमान 2012–13 शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है।

6.3 वित्तीय वर्ष 2010–11 का संक्षिप्त लेखा विवरण :

वित्तीय वर्ष 2010–11 के संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण में दिनाँक 31.03.10 को विगत वर्ष का अंतिम रोकड़ शेष तथा बैंकस्थ रोकड़ शेष ` 18085230.09 था जिसे प्रारंभिक शेष के रूप में लेकर वित्तीय वर्ष 2010–11 की रोकड़ बही दिनाँक 01.04.2010 को प्रारंभ की गई। दिनांक 31.03.2011 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैकस्थ रोकड़ 24755719.09 शेष था। वर्ष 2010–11 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे एवं महालेखाकार छ.ग. द्वारा जारी संपरीक्षा प्रमाण पत्र इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में है।

परिशिष्ट

No. CAW/S-2 /ACs/CSERC/2010-11/D|367

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raipur.

सत्यमेव जयते

To,

दिनांक
Date: 01-11-2011

The Chairman,
Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission,
Dhand Complex, GE Road,
Civil Lines, Raipur 492001

Sub: Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2011.

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year 2010-11 under Sub Section (2) of Section 104 of the Electricity Act 2003. Six copies of printed annual accounts incorporating the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India may be forwarded to this office after placing the same before the State Legislature.

Encl: As above

Yours faithfully,

Deputy Accountant General
(Comml.)

पोस्ट - मांढर, जीरो प्वाइंट, रायपुर - 493 111 (छत्तीसगढ़)
Post - Mandhar, Zero Point, Raipur - 493 111 (Chhattisgarh)
फोन / Phone : 2582082 • फैक्स / Fax : 2582505 • ई-मेल / Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2011

We have audited the attached Balance Sheet of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as at 31 March 2011 and the Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account for the year ended on that date under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003. These Financial Statements include the accounts of units/branches of the Commission. These Financial Statements are the responsibility of the Commission's management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.

This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc, if any are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet, Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in format approved by the Chhattisgarh State Government under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Commission as required under Section 104(1) of the Electricity Act, 2003 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) **Comments on Accounts**

A. **Balance Sheet**

Assets

Work in Progress
(New Office Building Construction) – ₹ 369.71 lakh
Provision for Depreciation - ₹ 5.91 lakh
₹ 363.80 lakh

This represents value of new office building put to use from 1 April 2010 onwards which should have been classified under Fixed Assets. This has resulted in understatement of fixed assets and overstatement of Work-in-Progress to the extent of ₹ 369.71 lakh each.

B. **Income and Expenditure**
Income
Commission/ Fees, Penalty - ₹ 225.13 lakh

This does not include ₹ 41.09 lakh, ₹ 40.41 lakh and ₹ 15.50 lakh towards annual license fees received from Chhattisgarh State Trading Company Limited on 22 March 2011 for the year 2010-11, 2009-10 and 2008-09 respectively being deemed trading licensee. This has resulted in understatement of Commission/ Fees, Penalty by ₹ 97.00 lakh and understatement of income over expenditure to the tune of ₹ 41.09 lakh for the current year and understatement of Prior Period Income to the extent of ₹ 55.91 lakh.

C. **General**

A reference is invited to point no. 5 of Schedule - L "Notes on Accounts" for the year ended on 31st March 2011 which states that excess provision for death cum retirement gratuity of ₹ 35.00 lakh has been reversed during the year 2010-11. Actually, excess provision of ₹ 29.00 lakh was reversed during 2010-11 and shown in Income and Expenditure Account. Hence, the discloser made in point no. 5 of Schedule – L is factually incorrect.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure – I to this Audit Report ***give a true and fair view*** in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state affairs of the Board as at 31 March 2011; and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account, of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

For and on behalf of the Comptroller & Auditor General of India

Place: Raipur

Date

Accountant General (Audit)

Annexure-I to Audit Report

1. **Adequacy of Internal Audit System**: Internal audit system is adequate and commensurate with the size and nature of the Commission.

2. **Adequacy of Internal Control System**: Internal control system is adequate and commensurate with the size and nature of the Commission.

3. **System of Physical verification of fixed assets**: Fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals.

4. **System of Physical verification of inventory**: Not Applicable.

5. **Regularity in payment of statutory dues:** The Commission is regular in depositing undisputed statutory dues.

6. No other observation on the functioning of thc Commission which suggests a significant risk to financial reporting.

Accountant General (Audit)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप–क
(देखिये नियम 3)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2010 से 31.03.2011)

गत वर्ष (रू.)	प्राप्तियाँ	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	भुगतान	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	1. प्रारंभिक शेष				1. स्थापना व्यय		
7590.00	(i) हस्तस्थ रोकड़	5447.00		10544037.00	(i) वेतन एवं भत्ते	10204253.00	
7557708.90	(ii) बैंक में रोकड	18079783.09	18085230.09	11765.00	(ii) मजदूरी	34954.00	
16000000.00	2. छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान		16000000.00	119650.00	(iii) व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (सुरक्षा एवं रख रखाव)	265061.00	
	3. आयोग की प्राप्तियाँ			266027.00	(iv) अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	0.00	
	(i) निवेश से प्राप्तियाँ				(v) यात्रा व्यय		
40995874.00	(क) निवेश का नगदीकरण	12500000.00		246408.00	(अ) देशीय यात्रा	261152.00	
5370532.00	(ख) निवेश पर ब्याज	998191.00		502225.00	(ब) विदेश यात्रा	28002.00	
36560.00	(ii) कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली	28693.00		0.00	(स) अवकाश यात्रा रियायत	0.00	
	(iii) अन्य प्राप्तियाँ			15500.00	(vi) मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)	4000	
	(क) वर्तन			0.00	(vii) अतिरिक्त समय भत्ता	0.00	
22091359.00	(ख) शुल्क, जुर्माना, शास्ति एवं प्रभार	22512927.00		82780.00	(viii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	27792.00	
599032.00	(घ) बैंक में रोकड़ पर ब्याज	1133705.00		9192.00	(ix) अधिलाभांश	2507.00	
165.00	(ङ) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	330.00		649828.00	(x) अन्य स्थापना व्यय (विद्युत लोकपाल कार्यालय)	823603.00	
	(ङ) विविध प्राप्तियाँ			1770.00	(xi) अंशदायी पेंशन योजना का अंतिम भुगतान	120519.00	11771843.00
-50000.00	(c) (i) बयाना राशि				2. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय		
	(d) कुल प्राप्ति 80000.00			46400.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	51120.00	
	(e) (-) वापसी 0.00	80000.00		183104.58	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	217732.00	
942.00	(ii) प्रतिभूति निक्षेप (प्राप्त)	28412.00		824809.00	(iii) किराया	0.00	
0.00	(iii) प्रेषण प्राप्तियाँ			6129807.73	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	5116280.00	5385132.00
	(अ) समूह बीमा योजना			343160.00	3. पूंजीगत व्यय		2277944.00
	(ब) सामान्य भविष्य निधी			36000.00	4. प्रतिभूति निक्षेप (पक्षकारों को भुगतान)		0.00
	कुल प्राप्तियाँ 198546.00						
	(–) वापसी 198546.00	0.00					
409105.00	(स) नवीन अंशदायी पेंशन योजना	444464.00			5. कर्मचारियों को अग्रिम (यात्रा हेतु अग्रिम)		
6000.00	(iv) निविदा प्रपत्र की बिक्री	0.00		14293.00	(i) यात्रा अग्रिम	0.00	
10000.00	(v) स्टाफ कार वसूली	15358.00		9400.00	(ii) अनाज अग्रिम	10580.00	
0.00	(vi) गृह किराया वसूली	0.00		5000.00	(iii) त्यौहार अग्रिम	6100.00	16680.00
30000.00	(vii) निविदा हेतु कार्यवाही शुल्क	0.00			6. अन्य अग्रिम		
16400.00	(viii) प्रकाशन का विक्रय	2000.00		10662818.00	(i) गृह निर्माण मंडल को भुगतान (कार्यालय भवन निर्माण हेतु कार्य प्रगति पर)	700000.00	
1017.50	(ix) अन्य विविध प्राप्तियाँ	9504.00		-1210787.00	(ii) छ.ग.रा.वि.मं की ओर से सामानांतर प्रक्रिया हेतु सलाहकारिता शुल्क का भुगतान	0.00	700000.00
1254477.00	(x) विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त	772712.00			7. अंतिम शेष		
250.00	(xi) पुराने सामाचार पत्रों के विक्रय से प्राप्त	0.00		3447.00	(i) हस्तस्थ रोकड	3755.00	
0.00	(xii) प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)			2000.00	(ii) खुदरा रोकड़	975.00	
	प्राप्तियां 6500.00			18079783.09	(iii) बैंक में रोकड	24750723.09	
	(-) भुगतान 0	6500	38532796.00	0.00	(iv) छ.ग.रा.वि.नि.आ., रायपुर आयकर खाता	266.00	24755719.09
				0.00	8. एन्टीवायरस साटवेयर		39000.00
				46758595.00	9. बैंक स्थायी जमा पर निवेश		27670455.00
					10. आयकर खाता		1253.00
94337012.40	योग		72618026.09	94337012.40	योग		72618026.09

आंतरिक वित्तीय सलाहकार | सचिव | सदस्य | अध्यक्ष

स्थानः रायपुर
दिनांक :

प्ररूप–3
(देखिये नियम 8)

आय व्यय लेखा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
(1-4-2010 से 31-3-2011)

गत वर्ष (रू.)	व्यय	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	आय	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	क. (1) स्थापना व्यय (सारणी–ञ)			6000000.00	1. छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (प्राप्त)	16000000.00	
9700790.00	I वेतन एवं भत्ते	10317134.00			जोड़ें: प्राप्य अनुदान		
15292.00	II मजदूरी	31427.00			योग:	16000000.00	
433852.00	III अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	444464.00			घटायें: पूंजीकृत राशि	10000000.00	
3544783.00	IV मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान	150888.00			शुद्ध योग:		6000000.00
605030.00	V अवकाश नगदीकरण	161843.00	11105756.00	3338005.00	2. निवेश पर ब्याज		4307670.00
145188.00	2. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (सुरक्षा एवं भवन रक्षण)		261038.00	165.00	3. अग्रिम पर ब्याज		330.00
	3. यात्रा व्यय (सारणी–य)			599032.00	4. बैंक में रोकड़ पर ब्याज		1133705.00
502225.00	i. विदेश यात्रा	28002.00		22091359.00	5. वर्तन एवं शुल्क एवं प्रभार		22512927.00
241033.00	ii. देशीय यात्रा	262866.00			6. विविध प्राप्तियां		
0.00	iii. अवकाश यात्रा रियायत	35727.00	326595.00	250.00	(क) पुराने समाचार पत्र का विक्रय	0.00	
15500.00	4. मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)		8000.00	6000.00	(ख) निविदा प्रपत्र की बिकी	0.00	
0.00	5. ओवर टाईम भत्ता		0.00	10000.00	(ग) स्टॉफ कार वसूली	15358.00	
82780.00	6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति		27792.00	30000.00	(घ) प्रक्रिया शुल्क	0.00	
9192.00	7. अधिलाभांश		2507.00	16400.00	(ङ) प्रकाशन का विक्रय	2000.00	
0.00	8. अन्य स्थापना व्यय		0.00	0.00	(च) गृह किराया वसूली	0.00	
	ख. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय			1017.50	(छ) अन्य विविध प्राप्तियाँ	9504.00	26862.00
46400.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	51120.00			7. उपादान हेतु प्रावधान		2900384.00
183359.58	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	223842.00			8. सुरक्षा निधि		5000.00
770520.00	(iii) किराया	0.00			9. अवकाश नगदीकरण		383277.00
5954484.73	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	8445450.00					
13459.00	(V) एन्टिवायरस साटवेयर के लागत में कमी	13974.00	8734386.00				
259056.00	ग. अक्षयण		1070045.00				
9569284.19	ङ. आय का व्यय पर आधिक्य		15734036.00				
32092228.50	योग		37270155.00	32092228.50	योग		37270155.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव सदस्य अध्यक्ष

स्थानः रायपुर

दिनांक :

(सारणी–ञ)
(देखिये नियम 5)
स्थापना व्यय 31 मार्च 2011
(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	वेतन एवं भत्ते	2062428.00	3819846.00	4434860.00	10317134.00
(II)	मजदूरी	0.00	0.00	31427.00	31427.00
(III)	पेंशन अंशदान	0.00	183787.00	260677.00	444464.00
(IV)	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान	0.00	66391.00	84497.00	150888.00
(V)	अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	161843.00	0.00	0.00	161843.00
	योग	2224271.00	4070024.00	4811461.00	11105756.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार　　　　　　　　　　　　सचिव

(सारणी–य)
(देखिये नियम 5)
यात्रा व्यय 31 मार्च 2011
(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	देशीय यात्रा	178265.00	79922.00	4679.00	262866.00
(II)	विदेश यात्रा	28002.00	0.00	0.00	28002.00
(III)	अवकाश यात्रा रियायत	0.00	35727.00	0.00	35727.00
	योग	206267.00	115649.00	4679.00	326595.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार　　　　　　　　　　　　सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय

दिनाँक 31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए

(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष के व्यय (देखिये आय एवं व्यय खाता)	अदत्त		चालू वर्ष में भुगतान (देखिये प्राप्ति एवं भुगतान
			गत वर्ष के अदत्त व्यय चालू वर्ष में हस्तांतरित	चालू वर्ष के अदत्त व्यय आगामी वर्ष में	
1	2	3	4	5	6
1	विज्ञापन एवं प्रचार	576959.00	79418.00	262280.00	394097.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार देय	25000.00	24310.00	49310.00	0.00
3	बैंक शुल्क	2936.00	0.00	0.00	2936.00
4	पुस्तक एवं नियत कालिक पत्रिका	16827.00	0.00	0.00	16827.00
5	संगणक लेखन सामग्री एवं उपभुक्त	80617.00	0.00	0.00	80617.00
6	सलाहकारिता शुल्क	2940140.00	0.00	1617084.00	1323056.00
7	विद्युत एवं पानी खर्च	245167.00	19490.00	38610.00	226047.00
8	अधिवक्ता शुल्क	1235250.00	0.00	0.00	1235250.00
9	साज सज्जा एवं कार्यालय उपकरण	10376.00	0.00	0.00	10376.00
10	भाड़ा (आटो रिक्शा)	118154.00	7753.00	8767.00	117140.00
11	भाड़ा (कार)	315300.00	11453.00	33084.00	293669.00
12	प्रशिक्षण व्यय	7400.00	0.00	0.00	7400.00
13	विद्युत रखरखाव	33102.00	0.00	39168.00	-6066.00
14	उपस्कर एवं जुड़नार (मरम्मत एवं रखरखाव)	45000.00	0.00	0.00	45000.00
15	उद्यान रखरखाव व्यय	16750.00	0.00	10800.00	5950.00
16	यात्रा व्यय (साक्षात्कार हेतु)	4660.00	0.00	0.00	4660.00
17	अतिथि सत्कार व्यय	77321.00	0.00	0.00	77321.00
18	आयकर (देय)	1272203.00	0.00	1272203.00	0.00
19	अंशदान पेंशन योजना (CPS) पर ब्याज	169719.00	0.00	169719.00	0.00
20	पोशाक/गणवेश व्यय	11866.00	0.00	0.00	11866.00
21	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता	21836.00	2370.00	2582.00	21624.00
22	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण एवं कम्प्यूटर	69687.00	1000.00	0.00	70687.00
23	सदस्यता शुल्क व्यय (FOR)	200000.00	0.00	0.00	200000.00
24	सदस्यता शुल्क व्यय (FOIR)	50000.00	0.00	0.00	50000.00
25	सदस्यता शुल्क व्यय (SAFIR)	150000.00	0.00	0.00	150000.00
26	विविध कार्यालय व्यय	254346.00	11550.00	400.00	265496.00
27	समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय	15413.00	1382.00	1911.00	14884.00
28	पेट्रोल/तेल एवं चिकनाई	171149.00	0.00	0.00	171149.00
29	डाक एवं तार व्यय	25076.00	0.00	0.00	25076.00
30	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म	121897.00	19992.00	4560.00	137329.00
31	प्रकाशन व्यय	2933.00	0.00	0.00	2933.00
32	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय	56273.00	2108.00	320.00	58061.00
33	शुल्क एवं भत्ते (राज्य सलाहकार समिति बैठक)	6700.00	0.00	0.00	6700.00
34	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (अध्यक्ष एवं सदस्य)	95393.00	-3714.00	-4516.00	96195.00
	योग	**8445450.00**	**177112.00**	**3506282.00**	**5116280.00**

आंतरिक वित्तीय सलाहकार　　　　　　　　　　　　सचिव

प्ररूप–4
(देखिये नियम 8)
तुलन पत्र 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
(1-4-2010 से 31-3-2011)

गत वर्ष (रू.)	दायित्व	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	आस्तियाँ	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
100751765.09	पूंजी निधी (सारणी–1)			3197595.00	स्थायी आस्तियाः (सारणी–क)		
	प्रारंभिक शेष	60751765.09			सकल योग	8612384.00	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि				घटाईयेः अवक्षयण	1782274.00	
	आय का व्यय पर आधिक्य	15734036.00			शुद्ध योग		6830110.00
	छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)	50000000.00	126485801.09	37937818.00	क्रियमाण कार्य (नये कार्यालय भवन का निर्माण)	36971000.00	
					अवक्षयण हेतु प्रावधान	591105.00	36379895.00
				48617123.00	निवेश (सारणी–ख)		67097057.00
				-33048.00	आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम (सारणी–ग)		12894.00
	ऋणः			4320.00	निक्षेप (सारणी–घ)		40320.00
	चालू दायित्व एवं प्रावधानः			0.00	भविष्य निधि (सारणी–ड़)		0.00
				106660.00	विविध देनदार (सारणी–च)		71598.00
				0.00	अनुदान प्राप्य (सारणी–छ)		0.00
0.00	प्रेषण (सारणी–2)		266.00		अंतिम शेषः		
				5447.00	हस्तस्थ रोकड (सारणी–ज)		4730.00
1738721.00	भविष्य निधि (सारणी–3)		2676849.00	18079783.09	बैंक में रोकड (सारणी–झ)		24750989.09
1884343.00	विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व (सारणी–4)		5233906.00				
3544783.00	उपादान हेतु प्रावधान (समस्त कर्मचारियों के लिए) (सारणी–5)		795287.00		लेखाओं पर टिप्पणीयाँ (सारणी–र)		
				3914.00	वाहन बीमा (पूर्वदत्त)		4516.00
107919612.09	योग		135192109.09	107919612.09	योग		135192109.09

टीपः
1 राज्य शासन द्वारा सेवाकाल में अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है । अतः इसका प्रावधान आयोग के लेखा में नहीं किया गया है, परंतु देय अर्जित अवकाश नकदीकरण की राशि सेवा निवृत्त अथवा मृत्यु के समय वर्तमान वेतन–बैंड अनुसार संलग्नक–1 के अनुसार प्रानिधिक तौर पर रू. 281251/– एवं रू. 926632/– अनुमानित की गयी है । उक्त दोनों राशियों में से अधिकतम राशि आकस्मिक दायित्व के रूप में तुलन–पत्र की तिथि निर्धारित की जा सकती है, परंतु चूंकि यह दायित्व आकस्मिक प्राकृतिक का है, अतः यह लेखा में सम्मिलित नहीं है ।

2 आयोग द्वारा अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया गया है । छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के परिपत्र क. 201/सी–25568/वित्त/नियम/4/09/दिनांक 28.07.09 में अंशदायी पेंशन योजना पर मृत्यु उपरांत परिवार पेंशन हेतु निहित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है । तद्नुसार दायित्व आकस्मिक प्रकृति का है अतः लेखाओं पर इसका प्रावधान नहीं किया गया है, तथापि इस आकस्मिक दायित्व के भुगतान की गणना संलग्नक 2 पर दर्शायी गयी जो संलग्न है ।

3 राज्य शाासन के परिपत्र क./2335 नियम 2/4/72 दिनांक 14.11.72 में निहित प्रावधानानुसार अधिलामांश भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्यु उपरांत किया जाना है । इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रूप से अधिकतम दायित्व के रूप में रू. 50,000.00 किया गया है । प्रति कर्मचारी रू. 25,000.00 आकलित किया गया है ।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव   सदस्य   अध्यक्ष

स्थानः रायपुर

दिनांक :

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–1

(देखिये फार्म IV)

पूंजी निधी 31 मार्च 2011

(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	भूमि	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
(ii)	क्रियमाण कार्य (नये कार्यालय भवन का निर्माण)	37937818.00	-966818.00	36971000.00	0.00	36971000.00
(iii)	उपस्कर एवं जुड़नार	728699.00	538598.00	1267297.00	95423.00	1171874.00
(iv)	यंत्र एवं उपकरण	1712052.00	431435.00	2143487.00	173077.00	1970410.00
	विद्युत उपकरण	0.00	2563837.00	2563837.00	118875.00	2444962.00
	अग्नि शमन उपकरण	0.00	87826.00	87826.00	2635.00	85191.00
	भू–सज्जा एवं उद्यान	0.00	335343.00	335343.00	10060.00	325283.00
	सूचना एवं प्रौद्यिगिकिय	0.00	168390.00	168390.00	11663.00	156727.00
(v)	एन्टिवायरस साफ्टवेयर 3 वर्ष हेतु	39974.00	0.00	39974.00	13974.00	26000.00
(vi)	मोटर गाड़ी	716870.00	0.00	716870.00	67207.00	649663.00
(vii)	पुस्तक एवं प्रकाशन	0.00	16827.00	16827.00	16827.00	0.00
(viii)	उपहार / दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ix)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(x)	छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)	40000000.00	10000000.00	50000000.00	0.00	50000000.00
(x)	निवल चालू आस्तियाँ	19616352.09	13068339.00	32684691.09	0.00	32684691.09
		100751765.09	26243777.00	126995542.09	509741.00	126485801.09

आंतरिक वित्तीय सलाहकार — सचिव

सारणी–2

(देखिये फार्म IV)

प्रेषण 31 मार्च 2011

(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	सामान्य भविष्य निधि कोष एवं अन्य कार्यालय कोष (समुह बीमा योजना + सामान्य भविष्य निधि)	0.0	198546.0	198546.0	198546.0	0.00
(ii)	अनुज्ञप्ति शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	आयकर	1519.00	1415775.00	1417294.00	1417028.00	266.00
(iv)	विक्रय कर / सत्कार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0.00	33996.00	33996.00	33996.00	0.00
(vi)	गृह किराया वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	95095.00	95095.00	95095.00	0.00
		1519.00	1743412.00	1744931.00	1744665.00	266.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार — सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–3

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2011

(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक		विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
क.		राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
	1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
	2	अभिदान	निरंक	
	3	अग्रिम की वसूली	निरंक	
	4	ब्याज	निरंक	
		योग		निरंक
		घटायें: अग्रिम/अंतिम देय/निवेश		
		शेष:		
ख.		निवृत्ति वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ कोष		
	1	प्रारंभिक शेष	1738721.00	
	2	नया अंशदान निवृत्ति वेतन कोष		
		(i) कर्मचारी अंशदान	444464.00	
		(ii) नियोक्ता अंशदान	444464.00	
	3	सेवानिवृत्त लाभ कोष	निरंक	
	4	ब्याज	169719.00	2797368.00
		घटायें: कुल भुगतान		120519.00
		योग		2676849.00

अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–4

(देखिये फार्म IV)

विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व 31 मार्च 2011

(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	प्रेषित राशि	पुनः भुगतान	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रतिभूति निक्षेप	8523.00	28412.00		5000.00	31935.00
2	बयाना राशि जमा	150500.00	80000.00		0.00	230500.00
3	विविध लेनदार	0.00			0.00	0.00
4	अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)					
i	विज्ञापन एवं प्रचार (देय)	79418.00	262280.00	79418.00		262280.00
ii	एन्टिवायरस साफ्टवेयर लागत (देय)	39000.00	0.00	39000.00	0.00	0.00
iii	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार (देय)	24310.00	25000.00	0.00		49310.00
iv	सलाहकारिता शुल्क (देय)	0.00	1617084.00	0.00	0.00	1617084.00
v	विद्युत लोकपाल व्यय (देय)	64591.00	71655.00		64591.00	71655.00
vi	विद्युत एवं पानी व्यय (देय)	19490.00	38610.00	19490.00		38610.00
vii	भाड़ा (आटो रिक्शा) देय	7753.00	8767.00	7753.00		8767.00
viii	भाड़ा (कार) देय	11453.00	33084.00	11453.00		33084.00
ix	उद्यान रखरखाव व्यय (देय)	0.00	10800.00	0.00		10800.00
x	आयकर (देय)	0.00	1272203.00	0.00		1272203.00
xi	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता (देय)	2370.00	2582.00	2370.00		2582.00
xii	अवकाश नगदीकरण (देय)	605030.00	0.00	0.00	221434.00	383596.00
xiii	अवकाश यात्रा रियायत (देय)	0.00	35727.00	0.00		35727.00
xiv	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण (देय)	1000.00	0.00	1000.00		0.00
xv	अन्य कार्यालय व्यय (देय)	11550.00	400.00	11550.00		400.00
xvi	बैठक व्यय (रा.स.स. सदस्य) देय	0.00	4000.00	0.00		4000.00
xvii	विद्युत रखरखाव (देय)	0.00	39168.00	0.00		39168.00
xviii	अखबार/पत्र व्यय (देय)	1382.00	1911.00	1382.00		1911.00
xviv	कार्यालय भवन निर्माण हेतु कार्य प्रगति पर (देय)	0.00	180667.00	0.00		180667.00
xx	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म (देय)	19992.00	4560.00	19992.00		4560.00
xxi	वेतन एवं भत्ते (देय)	766325.00	878846.00	766325.00		878846.00
xxii	सुरक्षा एवं भवन रक्षण मजदूरी (देय)	35261.00	31238.00	35261.00		31238.00
xxiii	प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)	13500.00	6500.00	0.00		20000.00
xxiv	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय (देय)	2570.00	1720.00	2570.00		1720.00
xxv	दूरभाष एवं फैक्स व्यय (देय)	14503.00	20613.00	14503.00		20613.00
xxvi	यात्रा भत्ता (देय)	576.00	2290.00	576.00		2290.00
xxvii	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (देय)	200.00	0.00	200.00		0.00
xxviii	मजदूरी (देय)	3527.00	0.00	3527.00		0.00
xxviv	रोकड़िया भत्ता (देय)	0.00	360.00	0.00		360.00
5	व्यय न हुई अनुदान राशि शासन को प्रतिदेय					
	योग	1882824.00	4658477.00	1016370.00	291025.00	5233906.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

सारणी–5
(देखिये फार्म IV)
उपादान हेतु प्रावधान 31 मार्च 2011
(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
1	प्रारंभिक शेष	644399.00	
2	चालु वर्ष में प्रावधान	150888.00	
	योग:	795287.00	
	घटायें: चालु वर्ष में भुगतान		
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	795287.00
	शुद्ध शेष		795287.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार　　　　　　　　सचिव

सारणी–क
(देखिये फार्म IV)
स्थायी आस्तियाँ 31 मार्च 2011
(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लाक				अक्षयण की दर	अक्षयण			निवल आस्तियाँ वर्ष के अंत में	
		प्रारम्भिक	जेड़िये	Disposals	योग		प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्वि	अंतिम शेष	गत वर्ष तक	चालू वर्ष तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	भवन **	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	उपस्कर एवं जुड़नार	1062854.00	538598.00	0.00	1601452.00	6.00%	334155.00	95423.00	429578.00	728699.00	1171874.00
4	यंत्र एवं उपकरण	2221871.00	431435.00	0.00	2653306.00	6.00%	509819.00	173077.00	682896.00	1712052.00	1970410.00
5	विद्युत उपकरण	0.00	2563837.00	0.00	2563837.00	6.00%	0.00	118875.00	118875.00	0.00	2444962.00
6	अग्नि शमन उपकरण	0.00	87826.00	0.00	87826.00	6.00%	0.00	2635.00	2635.00	0.00	85191.00
7	भू–सज्जा एवं उद्यान	0.00	335343.00	0.00	335343.00	6.00%	0.00	10060.00	10060.00	0.00	325283.00
8	सूचना एवं प्रौद्यिगिकिय	0.00	168390.00	0.00	168390.00	6.00%	0.00	11663.00	11663.00	0.00	156727.00
9	मोटर गाड़ी	1120112.00	0.00	0.00	1120112.00	6.00%	403242.00	67207.00	470449.00	716870.00	649663.00
10	पुस्तक एवं प्रकाशन *	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	अन्य सम्पत्तियां (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	सकल योग (1) से (12)	4404837.00	4125429.00	0.00	8530266.00		1247216.00	478940.00	1726156.00	3157621.00	6804110.00
14	एन्टिवायरस साफ्टवेयर ***	82118.00	0.00	0.00	82118.00		42144.00	13974.00	56118.00	39974.00	26000.00
15	पूंजी क्रियमाण कार्य	37937818.00	-966818.00	0.00	36971000.00		0.00	0.00	0.00	37937818.00	36971000.00
16	महा योग (13+14)	4486955.00	4125429.00	0.00	8612384.00		1289360.00	492914.00	1782274.00	3197595.00	6830110.00
17	गत वर्ष	4104795.00	382160.00	0.00	4486955.00		1016845.00	272515.00	1289360.00	3087950.00	3197595.00

टीपः

*	पुस्तक एवं प्रकाशन	130777.00	16827.00	0.00	147604.00		130777.00	16827.00	147604.00	0.00	0.00

** भवन की अनुमानित लागत रु.372 लाख एवं बॉऊंड्री बाल हेतु अतिरिक्त व्यय रु.22.07 लाख

*** एन्टिवायरस व्यय 3 वर्षों में अपलिखित की जावेगी

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–ख

(देखिये फार्म IV)

निवेश 31 मार्च 2011

(1-4-2010 Is 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण											राशि (रू)	राशि (रू.)
1	बैंक में स्थायी जमा												
i.	प्रारंभिक शेष											45758595.00	
ii.	किया गया निवेश											27670455.00	
iii.	निवेश का नगदीकरण											12500000.00	
iv.	अंतिम शेष												61929050.00
											योग	61929050.00	61929050.00
2	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र पर निवेश/अन्य प्रतिभूति (विनिर्दिष्ट करें)												
(a)	प्रारंभिक शेष												
(b)	किया गया निवेश												
(c)	निवेश का नगदीकरण												
(d)	अंतिम शेष												
											योग	61929050.00	61929050.00
3	बैंकों के नाम लिखें	आई.डी.बी.आई	आई.डी.बी.आई	आई.डी.बी.आई	आई.डी.बी.आई	पी.एन.बी.	पी.एन.बी.	पी.एन.बी.	पी.एन.बी.	एस.बी.आई	एस.बी.आई		
i.	राशि का विवरण:	9670455.00	9000000.00	4000000.00	5000000.00	9000000.00	3052630.00	9000000.00	2129950.00	2076015.00	9000000.00		
ii.	जमा की तारीख:	10.07.10	23.07.10	11.08.10	18.11.10	23.06.09	23.06.09	22.08.09	22.08.09	22.08.09	22.08.09		
iii.	जमा की समयावधि:	3 वर्ष 4 दिन	3 वर्ष 4 दिन	3 वर्ष 4 दिन	3 वर्ष 4 दिन	25 माह	25 माह	2 वर्ष	2 वर्ष	2 वर्ष	2 वर्ष		
iv.	देय तिथी:	14.07.13	27.07.13	15.08.13	22.11.13	22.07.11	22.07.11	21.08.11	21.08.11	21.08.11	21.08.11		
v.	ब्याज दर:	7.50%	7.50%	7.75%	9.25%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%		
vi.	ब्याज:	365702.00	340348.00	156351.00	103125.00	1179309.00	399999.00	1064374.00	251896.00	244957.00	1061946.00	5168007.00	5168007.00
											TOTAL	5168007.00	5168007.00
											कुल योग (1+2+3)	67097057.00	67097057.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

सारणी–ग

(देखिये फार्म IV)

आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम 31 मार्च 2011

(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
अ	आकस्मिक अग्रिम				
(अ)	के.लो.नि.विभाग को अग्रिम				
(ब)	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को अग्रिम				
(स)	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम				
(द)	अन्य अग्रिम				
	उप–योग				
ब	कर्मचारियों को अग्रिम				
(अ)	अनाज अग्रिम	9400.00	20000.00	18820.00	10580.00
(ब)	त्यौहार अग्रिम	5000.00	10000.00	8900.00	6100.00
(स)	अन्य अग्रिम (यात्रा अग्रिम)	14293.00	268994.00	268994.00	0.00
	उप–योग	28693.00	298994.00	296714.00	16680.00
स	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)				
(अ)	विद्युत लोकपाल के व्यय (अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्य)	-61741.00	40632.00	-17323.00	-3786.00
	उप–योग	-61741.00	40632.00	-17323.00	-3786.00
	योग	-33048.00	339626.00	279391.00	12894.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव

सारणी–घ

(देखिये फार्म IV)

निक्षेप 31 मार्च 2011

(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
1	प्रतिभूति निक्षेप	40320.00	0.00	0.00	40320.00
2	बयाना राशि निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अन्य निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	40320.00	0.00	0.00	40320.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव

सारणी--ड़

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2011

(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू)	राशि (रू)
अ	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
	प्रारंभिक शेष	0.00	
	जोड़िये: चालु वर्ष मे किये गये निवेश		
		0.00	0.00
	घटाईये: निवेश का नगदीकरण		
ब	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग	0.00	0.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार | सचिव

सारणी--च

(देखिये फार्म IV)

विविध देनदार 31 मार्च 2011

(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
अ	आयकर (प्राप्य) स्टेट बैंक आफ इंडिया से (निक्षेप पर काटा गया)	70198.00	0.00	0.00	70198.00
ब	सुरक्षा निधि (प्राप्य) छ.ग.रा.वि.वि.कं. मर्या.	36000.00	0.00	36000.00	0.00
स	चाय/काफी प्रीमिक्स (प्राप्य) अधिकारीयों/कर्मचारियों से	462.00	938.00	0.00	1400.00
	योग	106660.00	938.00	36000.00	71598.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार | सचिव

सारणी--छ

(देखिये फार्म IV)

अनुदान प्राप्य 31 मार्च 2011

(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू)	राशि (रू)
अ	छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान		
	प्रारंभिक शेष		
	जोड़िये: चालू वर्ष में किये गये दावे	16000000.00	
	योग	16000000.00	
	घटाईये: चालू वर्ष में प्राप्त अनुदान	16000000.00	0.00
	योग	0.00	0.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार | सचिव

सारणी–ज
(देखिये फार्म IV)
हस्तस्थ रोकड़ 31 मार्च 2011
(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)
अ	वेतन	0.00
ब	यात्रा भत्ता	0.00
स	आकस्मिक	0.00
द	कार्यालय व्यय	3755.00
ई	अन्य (विद्युत लोकपाल खुदरा रोकड़)	975.00
	योग	4730.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार — सचिव

सारणी–झ
(देखिये फार्म IV)
बैंक में रोकड़ 31 मार्च 2011
(1-4-2010 से 31-3-2011)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)
अ	पंजाब नैशनल बैंक, रायपुर	21789918.19
ब	एक्सिस बैंक लिमिटेड, रायपुर	0.00
स	आई.डी.बी.आई बैंक, रायपुर	42824.00
द	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर	2917980.90
ई	छ.ग.रा.वि.नि.आ., रायपुर स्त्रोत पर आयकर कटौती खाता	266.00
	योग	24750989.09

आंतरिक वित्तीय सलाहकार — सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -र

(देखिये नियम 3)

दिनाँक 31.3.2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी

(1.4.2010 से 31.3.2011)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ–वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न किये जाने योग्य।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :–

1. प्रारंभिक शेष आयोग प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दिनांक 31 मार्च 2010 के तुलन पत्र के आधार पर लिया गया है।
2. आयोग के लेखाओं को लेखांकन की उदित लेखांकन विधि से तथा एतिहासिक लागत मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।
3. आयोग के लेखाओं का लेखांकन वाणिज्यिक लेखांकन पद्धति के आधार पर किया गया है।
4. स्थायी आस्तियों का मूल्य, अधिग्रहण लागत में से ह्रास को कम करके दर्शाया गया है।
5. स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा मूल्यह्रास विधि से स्थायी संपत्तियों के लागत पर 90% तक (लागत पर 10% अवशेष मूल्य) परिकलित किया गया है। इस हेतु आस्तियों की उपयोगी जीवनावधि निम्नानुसार मानी गई है:–

क्र.	आस्ति का नाम	लागत का प्रतिशत जो उपयोगी आयु में मूल्यह्रास हेतु लिया गया है।	अनुमानित उपयोगी आयु (वर्ष में)	मूल्यह्रास की वार्षिक दर
1.	भवन	90%	60	90÷60= 1.5%
2.	उपस्कर एवं जुड़नार	90%	15	90÷15=6.0%
3.	यंत्र एवं उपकरण	90%	15	90÷15=6.0%
4.	मोटर गाड़ी	90%	15	90÷15=6.0%

6. वित्तीय वर्ष के दौरान 30 सितम्बर के पश्चात क्रय की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास, उपरोक्त दरों की आधी दर से परिकलित किया गया है।
7. पुस्तकों एवं प्रकाशित सामग्री के क्रय को वर्ष में ही राजस्व व्यय के रूप में लिया गया है।
8. क्वीक हील एन्टी वायरस साफ्टवेयर की मियाद उसके स्थापित करने से 3 वर्ष तक के लिए है। अतः वर्ष के दौरान उपयोग किये गये दिनों के अनुपात में उसका अपलेखन किया गया है।

<u>लेखाओं पर टिप्पणी :–</u>

1. आयोग की आय एवं सम्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के द्वारा संघीय करारोपण से विमुक्त रखा गया है।
2. राज्य शासन द्वारा आयोग को कार्यालय भवन हेतु भूमि का आवंटन निःशुल्क किया गया है।
3. भवन पूर्णता प्रमाण पत्र, छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा दिया जाना शेष है। उक्त भवन का उपयोग दिनांक 01.04.2010 से किया जा रहा है, अतः उक्त दिवस से ही भवन पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है।

4 आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 156 के तहत् जारी नोटिस के द्वारा स्त्रोत पर आयकर की कम कटौती एवं प्रेषण से अवगत कराया गया जिसके आधार पर रु. 12,72,203/– स्त्रोत पर कटौती एवं प्रेषण हेतु तथा इस पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया गया है। चूँकि स्त्रोत पर वास्तविक कर कटौती एवं प्रेषण नियमानुसार ही किया गया है अतः इस संबंध में आयुक्त, आयकर, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई है, जो कि लंबित है।

5. वार्षिक लेखा 2010–11 में मृत्यु सह सेवानिवृत्ती उपादान का प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वित्त वर्ष 2009–10 में रु. 35.00 लाख अधिक प्रावधान को चालू वर्ष 2010–11 में समायोजित किया गया है।

6. राज्य शासन द्वारा सेवाकाल में अर्जित अवकाश नगदीकरण की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। अतः इसका प्रावधान आयोग के लेखा में नही किया गया है। परन्तु देय अर्जित अवकाश नगदीकरण की राशि सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के समय वर्तमान वेतन की वेतन–बैंड अनुसार संलग्नक–1 के अनुसार प्रानिधिक तौर पर रु.281251/– एवं रु.926632/– अनुमानित की गयी है। उक्त दोनों राशियों में से अधिकतम राशि आकस्मिक दायित्व के रुप में तुलन–पत्र की तिथि को निर्धारित कि जा सकती है परंतु चुंकि यह दायित्व आकस्मिक प्रकृति का है अतः यह लेखा में सम्मिलित नहीं है।

7. आयोग के अध्यक्ष एवं सद्स्य की सेवा शर्तो के अनुसार, उन्हे खाते में शेष संपूर्ण अर्जित अवकाश का 50 प्रतिशत तक समर्पण एवं नगदीकरण सेवाकाल के दौरान करने की पात्रता है। चूँकि आयोग के सद्स्य जनवरी 2012 में सेवानिवृत्त हो रहे है, उनके खाते में शेष अर्जित अवकाश का भुगतान किया जाना है। आयोग के अध्यक्ष एवं सद्स्य के अर्जित अवकाश नगदीकरण का प्रावधान चालू वर्ष के लेखा पर दायित्व के रुप में किया है।

8. आयोग द्वारा अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/4/09 दिनांक 28.07.09 में अंशदायी पेंशन योजना पर मृत्यु उपरान्त परिवार पेंशन हेतु निहित प्रावधानो का उल्लेख किया गया है, तदानुसार दायित्व आकस्मिक प्रकृति का है अतः लेखाओं पर इसका प्रावधान नही किया गया है, तथापि इस आकस्मिक दायित्व के भुगतान की गणना संलग्नक–2 पर दर्शायी गयी है जो संलग्न है।

9. राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2335, नियम 2/4/72, दिनांक 14.11.72 में निहित प्रावधानानुसार अधिलाभांष भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्योपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रुप से अधिकतम दायित्व के रुप में रु.50000/–, किया गया है। प्रति कर्मचारी रु.25000/– आकलित किया गया है।

10. बैंक सावधी जमा पर ब्याज, बैंक द्वारा जारी अर्जित ब्याज प्रमाण–पत्र के आधार पर लिया गया है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार　　　　　　　　सचिव